

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा  
 मु. नं. 92/81  
 किस्म मुकदमा -> अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
 बनाम विजय दत्त एन समेत वगैरे


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अटकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

15/12/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत कैम्प ग्राम पंचायत (टीकरी बिलानोत) में तहसीलदार मण्डावर/बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.भि.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत, इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 229, 231

स्थित ग्राम र.म.प.र. पटवार मण्डल, रामपुर तहसील बैजूपाडा/मण्डावर जिला दौसा जिस पर मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं रास्ते के उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार मण्डावर/बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारान को अपना पक्ष दिनांक 1.5.12 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। परन्तु उक्त तिथि को किसी भी निजी खातेदारान द्वारा अपना कोई पक्ष/जवाब/सहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारान की है एव पक्षकारान/ निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपना कोई पक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। बिना निजी खातेदार की सहमति के उसकी खातेदारी भूमि से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 को खातेदारान के द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु सहमति नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
 (अमित कुमार वर्मा)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डावर(दौसा)